न्यायालय : माननीय राजस्व मन्डल, मध्य - प्रदेश, ग्वालियर (म0 प्र0)

प्रकरण क्र0 /2013 निगरानी जिला :- दतिया

:1: राम स्वरूप साहू तनय स्व0 श्री घासीराम नि0 बड़े मंदिर के पास, कस्वा भान्डेर

:2: श्रीकान्त शरण चउदा तनय स्व0 श्री सिया- -वल्लभ शरण नि0 मोहल्ला अकबरपुर, कस्वा भान्डेर, जिला दतिया म0प्र0-आवेदक गण

बनाम

:1: राम कुमार केवट तनय श्री बिजयसिंह ढीमर शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी कृषिऔर ग्रामीण बिकास बैंक मर्यादित, शाखा भान्डेर जिला दतिया (म0प्र0)

:2: म0 प्र0 शासन जर्ये पटवारी मौजा बूलपुर तेहसील भान्डेर जिला दतिया- अना0 गण

निगरानी आवेदन बिरूद्ध आदेश श्री जी0 पी0 कबीरपंथी सा0, कलेक्टर, जिला दतिया म0 प्र0 द्वारा, प्रकरण क्र0 40/निगरानी/ 11, 12 में पारित आदेश दि0 15-1-13 निरस्त किये जाने हेतु तहत धारा 50, 32, 43 म0 प्र0 भूराजस्व सं0 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदक गण अंदर अबधि, सेवा में निम्न लिखित आधारों पर निगरानी आवेदन - पत्र प्रस्तुत करते हैं :-

:1: यह कि, विद्वान कलेक्टर महोदय, का आलोच्य आदेश म0 प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 के तथा धारा 05 अबधि बिधान 1963 के प्रावधानों के सर्वथा बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

:2: यह कि, विद्वान कलेक्टर महोदय, ने अनावेदक गण द्वारा आवेदकगण के आवेदन धारा 05 मियाद माफी का कोई उत्तर कई अवसर दिये जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया। फलस्वरूप अनावेदक के जबाव प्रस्तुत करने का अवसर आदेश दि0 4.12.12 के अनुसार समाप्त किया जाकर, आवेदनपत्र धारा 5 अबधि बिधान पर बहस हेतु नियत किया गया। नियत दिनांक 18.12.12 को अनावेदक के अभि0 व अनावेदक के अनुपस्थित होने से प्रकरण में उनके बिरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। परिणामत: आवेदकगण के एकपक्षीय रूप से आवेदन धारा 05 अबधि क्षमा किये जाने हेतु सुना गया

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1123–दो/2013 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर जिला दतिया के प्रकरण कमांक 40/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15/01/13 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर	सदस्य